

पत्र संख्या : 7ब/4701 योज०सं०-14/2011

**झारखण्ड सरकार**  
**जल संसाधन विभाग**

54

प्रेषक,

एस० के० शतपथी,  
प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, मेदिनीनगर;  
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;  
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

रॉची, दिनांक : 13.6.12

विषय :- मॉग संख्या-49-जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष अंगीकृत उपयोजना, उप शीर्ष-64-छोटानागपुर एवं संथालपरगना सिंचाई परियोजना अन्तर्गत चालू योजनाओं का निर्माण, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड 49P470180789640545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।


महाशय,


वित्तीय वर्ष 2012-13 में बजट मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को परिशिष्ट 2 में वर्णित कार्यों पर व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-


क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	49-जल संसाधन विभाग/ 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय/ 80-सामान्य	789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष अंगीकृत उपयोजना/64- छोटेनागपुर एवं संथालपरगना सिंचाई परियोजना अन्तर्गत चालू योजनाओं का निर्माण,	05-निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड 49P470180789640545	423.00

अतिरिक्त आवंटित राशि - ₹ चार करोड़ तेईस लाख मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2012-13 के संशोधित बजट उपबंध ₹ 823.00 लाख (आठ करोड़ तेईस लाख) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत परिशिष्ट 2 पर वर्णित कार्यों के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।

  
(सुरेश प्रसाद भगत)  
सहायक अभियंता

  
(सुबोध कुमार सिन्हा)  
संयुक्त सचिव (अभि.)

  
(बी. सी. निगम)  
विशेष सचिव



8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक—यथोक्त।

(एस० के० शतपथी)  
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 54 राँची, दिनांक :- 13.6.12  
प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिनू राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा/मेदिनीनगर सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
अनुलग्नक—यथोक्त।

(एस० के० शतपथी)  
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :- 54 राँची, दिनांक :- 13.6.12  
प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/सचिव योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव जल संसाधन विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(सुरेश प्रसाद भगत)  
सहायक अभियंता

(सुबोध कुमार सिन्हा)  
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)  
विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)  
प्रधान सचिव



विभागिय पत्रांक.....54

दिनांक .....13.6.12

का अनुलम्बक

परिशिष्ट -1

मोंग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय,

उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य,

लघु शीर्ष -789-अनुसचित जातियों के लिये विशेष अंगीकृत उपयोजना

उप शीर्ष -64-छोटानागपुर एवं सथाल परगना सिंचाई परियोजना अंतर्गत चालू योजनाओं का निर्माण

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, 49P470180789640545

वित्तीय वर्ष 2012-13 में बजट उपबंध 823.00 लाख (आठ करोड़ तेइस लाख) मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग	31 मार्च 2012 तक व्यय	शीर्षान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में आवंटन			अभ्युक्ति
							पूर्व का आबंटन	वर्तमान आबंटन	कुल आबंटन	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	औरंगा निर्माण प्रमंडल, पांकी	मेदिनीनगर	अमानत बराज योजना	34110.9100	44/04.03.03	24348.00	0.00000	300.00000	300.00000	
			उत्तर कोयल परियोजना	81470.0000	1645/16.07.98	76339.00	0.00000	117.000000	117.00000	
			उत्तर कोयल परियोजना				0.00000	6.000000	6.00000	
2	जलपथ प्रमण्डल मेदिनीनगर						योग			
							0.00000	423.00000	423.00000	
आवंटित राशि - ₹ चार करोड़ तेइस लाख मात्र।										



(सुरेश प्रसाद भगत)  
सहायक अभियंता



(सुबोध कुमार सिन्हा)  
संयुक्त सचिव (अभि.)



(बी. सी. निगम)  
विशेष सचिव



(एस0 के0 शतपथी)  
प्रधान सचिव



पत्रांक :- 54

दिनांक 13.6.12

का अनुलग्नक

परिशिष्ट - 2

विपत्र कोड 49P470180789640545

विवरण काड 49P470180789640545

क्र.	प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	कार्य का विवरण	राशि (लाख रुपये में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	औरंगा निर्माण प्रमंडल-पांकी	अमानत बराज योजना	बराज एवं बराज के U/S में गाइड बण्ड का कार्य	100.00	
			निरीक्षण वाहनों, जेनरेटर, फोटोकॉपियर मशीन का परिचालन एवं 1 अदद D.G. Set का क्रय	16.00	
			अमानत मुख्य नहर के आ०डी० 14.00 से 22.00 तक मिट्टी का कार्य	20.00	
			अमानत मुख्य नहर के आ०डी० 22.20 से 25.00 तक मिट्टी का कार्य	15.00	
			अमानत मुख्य नहर के आ०डी० 25.00 से 33.00 तक मिट्टी का कार्य	15.00	
			अमानत मुख्य नहर के आ०डी० 73.00 से 78.00 तक मिट्टी का कार्य	15.00	
			अमानत मुख्य नहर के आ०डी० 33.00, 35.50, 38.30 / 38.80 पर सी०डी० निर्माण कार्य	25.00	
			अमानत मुख्य नहर के आ०डी० 94.80 पर सी०डी० निर्माण कार्य	37.00	
			अमानत मुख्य नहर के आ०डी० 119.40 पर सी०डी० निर्माण कार्य	17.00	
			अमानत मुख्य नहर के आ०डी० 125.90 पर सी०डी० निर्माण कार्य	40.00	
			योग		
2	औरंगा निर्माण प्रमंडल-पांकी	उत्तर कोयल परियोजना	उत्तर कोयल जलाशय के डूबक्षेत्र एवं अन्य हिस्से का JSAC द्वारा सर्वेक्षण	3.60	
			परियोजना उच्च विद्यालय मोहम्मदगंज एवं मंडल अवस्थित उच्च विद्यालय मंडल के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का वर्ष 2012-13 का वेतन भुगतान कार्य	12.50	
			उत्तर कोयल बाँयी मुख्य नहर से निस्सृत कांडी उपवितरणी का सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्य (अनुसंधान प्रतिवेदन एवं प्राक्कलन तैयार किये जाने हेतु)	2.50	
			मोहम्मदगंज बराज से निस्सृत बांयी मुख्य नहर के आ०डी० 0.00 से 39.00 तक नहर खुदाई का कार्य	2.00	
			कादल ग्राम के जल जमाव के निकासी हेतु 3.37 पर सी०डी० तथा ड्रेनेज चैनल का निर्माण	10.00	
			बांयी मुख्य नहर के आ०डी० 17.40 / 17.80, 19.50 / 19.70, 21.50 / 21.70, 23.80 / 24.30 एवं 25.40 / 25.90 पर सी०डी० का निर्माण कार्य	29.80	
			बांयी मुख्य नहर के आ०डी० 17.20 / 17.40 एवं 16.00 पर सी०डी० का निर्माण कार्य	14.00	
			बांयी मुख्य नहर के आ०डी० 1.00 / 1.10 एवं 31.00 पर सी०डी० का निर्माण कार्य	30.00	
			बांयी मुख्य नहर के आ०डी० 3.90 एवं 12.90 पर सी०डी० का निर्माण कार्य	10.00	
			बांयी मुख्य नहर के आ०डी० 22.50 / 22.75 एवं 15.00 / 15.20 पर सी०डी० का निर्माण कार्य	2.60	
योग			117.00		
3	जलपथ प्रमण्डल मेदिनीनगर	उत्तर कोयल परियोजना	पोखराही सब डिस्ट्रीब्यूटरी में 4740 मी० से 6800 मी० तक सेवापथ का निर्माण, 9 अदद SLR, 4 अदद फाल, 5 अदद वाटर कोर्स, आउटलेख 1460 मी० से 4740 मी० तक सेवा पथ का निर्माण कार्य	6.00	
			योग	6.00	
महायोग				423.00	
आवंटित राशि - ₹ चार करोड़ तेइस लाख मात्र।					

(सुरेश प्रसाद भगत)  
सहायक अभियंता

(सुबोध कुमार सिन्हा)  
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)  
विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)  
प्रधान सचिव